उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTIN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिनांक 08 / 05/ 2025

ई–मेल द्वारा

दिशा–निर्देश सं0: 31C / का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल / 2025

विषयः– दिशा–निर्देश संख्या 31A / का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल / 2025 दिनांक 20.12.2024 में उल्लिखित बिन्दु संख्या 02 (झटपट / निवेश मित्र पोर्टल / ऑफलाइन डिपॉजिट वर्क) पर स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहेंगे कि दिशा–निर्देश संख्या 31A / का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल / 2025 दिनांक 20.12.2024 के उल्लिखित बिन्दु सं0 02 में झटपट / निवेश मित्र पोर्टल / डिपॉजिट वर्क सेवाओं पर व्ययों के प्राक्कलन (Estimate of Expenses) बनाते समय जी0एस0टी0 भारित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाता है:–

"संयोजन निर्गत किये जाने की दशा में आवेदक के परिसर की निकटतम खम्भे / पोल से दूरी:

1. *यदि 40 मीटर तक है, तो विद्युत तंत्र के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। अतः इस दशा में बुनियादी ढांचा उपलब्ध है माना जायेगा, अतः जी0एस0टी0 भारित नहीं किया जायेगा।*
2. *यदि 40 मीटर से अधिक है, तो स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप विद्युत तंत्र के निर्माण की आवश्यकता होगी। अतः इस दशा में बुनियादी ढांचा उपलब्ध न होना माना जायेगा, अतः जी0एस0टी0 भारित किया जायेगा।"*

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करायें।

संलग्नकः यथोपरि।

(सचिन गोयल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

दिशा–निर्देश सं0: 31C / का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल / 2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य) / कारपोरेट प्लानिंग / वितरण / वित्त / का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन / कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान) / केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ / पी0एम0यू0 / वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सचिन गोयल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTIN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिनांक 20 /12 /2024

ई–मेल द्वारा

दिशा–निर्देश सं0: 31 A /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2024

विषयः– वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 08/2024 –सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 के सम्बन्ध में।

कृपया वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 08/2024 –सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश संख्या 31/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2024 दिनांक 15.10.2024 (संलग्नक) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत दी गयी तालिका के अनुसार बिन्दु संख्या 1 से 17 पर अंकित सभी प्राप्तियों पर पूर्व में लागू 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की जगह दिनांक 10.10.2024 से भविष्य में उक्त प्राप्तियों पर जी0एस0टी0 भारित नहीं किये जाने तथा बिन्दु संख्या 18 पर अंकित डिपॉजिट वर्क पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 भारित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था।

अग्रेतर, निर्देशित किया जाता है कि:–

1. **बिलिंग सिस्टम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं–**

   बिलिंग सिस्टम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अन्तर्गत प्रीपेड रीचार्ज पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क (Token Money) पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 भारित किया जायेगा।

2. **झटपट/निवेश मित्र पोर्टल/ऑफलाइन डिपॉजिट वर्क–**

   झटपट/निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर चार्ज की जाने वाली Initial application fee पूर्णतः कर–मुक्त होगी। साथ ही, झटपट/निवेश मित्र पोर्टल/डिपॉजिट वर्क सेवाओं पर व्ययों के प्राक्कलन (Estimate of expenses) पर जी0एस0टी0 भारण से सम्बन्धित निम्नलिखित नियम लागू होंगे:–

   a) यदि उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु समस्त विद्युत अवसंरचना (Electrical Infrastructure) का आवश्यक बुनियादी ढ़ांचा पहले से उपलब्ध होगा, तो उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने से सम्बन्धित अनुमानित व्ययों जिनमें मीटर कॉस्ट, केबल कॉस्ट, लोड चार्जेज़, लाइन चार्जेज़ इत्यादि, पर जी0एस0टी0 भारित नहीं किया जायेगा।

   b) यदि उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु समस्त विद्युत अवसंरचना का आवश्यक बुनियादी ढ़ांचा निगम को तैयार कराना हो, जो कि डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले कार्यों के अन्तर्गत आता हो तो विद्युत अवसंरचना का आवश्यक बुनियादी ढ़ांचा तैयार करने से सम्बन्धित समस्त खर्चों पर जी0एस0टी0 भारित किया जायेगा।

3. **लाइन शिफ्टिंग/हाइट रेज़िंग सेवाएं–**

   उक्त नोटिफिकेशन द्वारा मीटर/लाइन शिफ्टिंग सेवाओं को भी कर मुक्त कर दिया गया है। अतः वितरण निगमों द्वारा लाइन शिफ्टिंग/हाइट रेज़िंग सेवाओं (आवेदन शुल्क, पर्यवेक्षण एवं शटडाउन चार्जेज़ सहित) पर जी0एस0टी0 भारित नहीं किया जायेगा।

   अग्रेतर, लाइन शिफ्टिंग/हाइट रेज़िंग सेवाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु प्रदान की जाने वाली पर्यवेक्षण एवं शटडाउन सेवाओं पर जी0एस0टी0 पूर्व की भांति लागू रहेगा।

अतः उक्त नियमानुसार दिनांक 10.10.2024 से उल्लिखित सेवाओं पर जी0एस0टी0 भारित नहीं किया जायेगा तथा जो जी0एस0टी0 अब तक भारित किया जा चुका है, उसे उपभोक्ताओं को वापस नहीं किया जाएगा और जी0एस0टी0 विभाग में जमा किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार जी0एस0टी0 नियमों का पालन सुचारू रूप से कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करायें।
संलग्नकः यथोपरि।

(सचिन गोयल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

दिशा–निर्देश सं0: 31A / का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल / 2024 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य) / कारपोरेट प्लानिंग / वितरण / वित्त / का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन / कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान) / केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ / पी0एम0यू0 / वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सचिन गोयल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTIN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिनांक 15 /10/2024

ई–मेल द्वारा

दिशा–निर्देश सं0: 31 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2024

विषय:– वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 08/2024 एवं 09/2024–सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 के सम्बन्ध में।

1. कृपया पूर्व में निर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 241/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल 2020 दिनांक 24.06.2024 (संलग्नक) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विद्युत वितरण निगमों द्वारा प्रदान की जा रही विद्युत वितरण के अतिरिक्त अन्य सेवाओं पर जी0एस0टी0 लागू किये जाने हेतु अवगत कराया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहेंगे कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 08/2024–सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 के अनुसार उपरोक्त तालिका में उल्लिखित बिन्दु–वार विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों में से बिन्दु संख्या 1 से 17 पर अंकित सभी प्राप्तियों पर पूर्व में लागू 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की जगह दिनांक 10.10.2024 से भविष्य में उक्त प्राप्तियों पर जी0एस0टी0 भारित नहीं किया जायेगा तथा बिन्दु संख्या 18 पर अंकित डिपॉजिट वर्क के सम्बन्ध में अग्रिम आदेशों तक यथावत् 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 भारित किया जायेगा। जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

S. no	Billing system service Heads	Nature	GST Applicable	GST Rate
1	Interest on security Deposit	Interest	No	-
2	Disconnection charges	Other services	No	-
3	Reconnection charges		No	-
4	Cheque Dishonor charges		No	-
5	Theft charges(Assessment)	Electricity Charges	No	-
6	Theft charges (Compounding)	Summon Fees	No	-
7	OTS Registration Fee (which is adjusted in bill on full payment)	Security Deposit	No	-
8	OTS Registration Fee (Which is forfeited as miscellaneous amount in case of OTS non-payment)	To tolerate an act	No	-
9	Processing Fee for Load change/New Connection/Category Change/Name Change/ Temp Connection Extension	Other services	No	-
10	Re inspection charges		No	-
11	Meter cost on New Connection/On replacement of Defective/Burnt Meters		No	-
12	Meter checking and testing through Check Meter		No	-
13	Charges for Meter replacement (higher capacity)/Meter Shifting		No	-
14	Charges for Meter Installation/Removal on Temporary Connection		No	-
15	Resealing fo Meter (special cases)		No	-
16	Checking of Capacitor (on consumer request)		No	-
17	Service Line Charges (Labour and overhead charges)		No	-
18	**Deposit Work**		**Yes**	**18%**

2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/2024–सेन्ट्रल टैक्स (दर) दिनांक 08.10.2024 के अनुसार निम्नलिखित सेवा पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अन्तर्गत जी0एस0टी0 देय होगा:–

"Service by way of Renting of any property other than residential Dwelling to a registered person."

अतः दिनांक 10.10.2024 के पश्चात किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा **आवासीय परिसर के अलावा** अन्य संपत्ति को निगम को किराए पर देने की सेवा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अंतर्गत आएगी।

संलग्नकः यथोपरि।

(नितिन निझावन)
उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)

दिशा–निर्देश सं0: /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अनुसचिव (रा0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(नितिन निझावन)
उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)